

केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दशा-नरिदेश-2022

प्रलिमिंस के लिये:

केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दशा-नरिदेश, न्यायालय की अवमानना, मानहानि

मेन्स के लिये:

मीडिया और लोकतंत्र की स्वतंत्रता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दशा-नरिदेश-2022 जारी किये गए हैं।

- मान्यता देने के लिये आवेदनों की जांच डीजी, पीआईबी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति द्वारा की जाती है।
- इस समय देश में पीआईबी द्वारा मान्यता प्राप्त 2,457 पत्रकार हैं।

प्रमुख बिंदु

दशा-नरिदेशों के तहत प्रावधान:

- प्रत्यायन वापस लेने/नलिंबति करने से संबंधित प्रावधान:**
 - यदि कोई पत्रकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, वदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के लिये गलत तरीके से कार्य करता है या उस पर गंभीर संज्ञेय अपराध का आरोप है।
 - यदि उसका कार्य शालीनता या नैतिकता के प्रतिकूल है या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध हेतु उकसाने से संबंधित है।
 - मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सार्वजनिक/सोशल मीडिया प्रोफाइल, वजिटिगि कार्ड्स, लेटर हेड्स या किसी अन्य फॉर्म या किसी भी प्रकाशित सामग्री पर "भारत सरकार से मान्यता प्राप्त" शब्द का उपयोग करने से प्रतबंधित करना।
- प्रत्यायन प्रदान करने से संबंधित प्रावधान:**
 - प्रत्यायन केवल दलिली एनसीआर क्षेत्र के पत्रकारों के लिये ही उपलब्ध है जिसकी कई श्रेणियाँ हैं।
 - एक पत्रकार को पूर्णकालिक पत्रकार या समाचार संगठन में एक कैमरापर्सन के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिये या पात्र बनने के लिये फ्रीलांसर के रूप में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
 - 30 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले और 65 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध पत्रकार भी पात्र हैं।
 - एक समाचार पत्र या पत्रिका के लिये न्यूनतम दैनिक संचलन 10,000 होना चाहिये और समाचार एजेंसियों के पास कम-से-कम 100 ग्राहक होने चाहिये। वदेशी समाचार संगठनों और वदेशी पत्रकारों पर भी इसी तरह के नियम लागू होते हैं।
 - डजिटल समाचार प्लेटफॉर्मों के साथ काम करने वाले पत्रकार भी पात्र हैं, बशर्ते वेबसाइट पर प्रतिमाह न्यूनतम 10 लाख वशिष्ट वजिटिगि होने चाहिये।
 - वदेशी समाचार मीडिया संगठनों के लिये काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी।
- केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति (CMAC):**
 - सरकार 'केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति' नामक एक समिति का गठन करेगी।
 - इस समिति की अध्यक्षता प्रधान महानदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा की जाएगी और इसका समिति का गठन दशा-नरिदेशों के तहत नरिधारित कार्यों के नरिर्वहन हेतु सरकार द्वारा नामित 25 सदस्यों को शामिल कर किया जाएगा।
 - 'केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति' अपनी पहली बैठक की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये कार्य करेगी और यदि आवश्यक हो तो तमिही में एक बार या अधिक बार बैठक करेगी।

संबंधित चर्चाएँ:

- एक पत्रकार के प्रत्यायन को नलिंबति या वापस लया जाना चाहयि या नहीं, यह तय करते समय भारत की संप्रभुता या अखंडता के लयि क्य़ा यह प्रतकूल है, इसका आकलन करने हेतु दशिया-नरिदेश सरकार द्वारा नामति अधकियरयिों के वविक पर छोड़ दयि गए हैं।
 - पत्रकार की मुख्य ज़मिमेदारयिों में से एक गलत कार्य को उज़ागर करना है, चाहे वह सार्वजनकि अधकियरयिों, राजनेताओं, बड़े व्यापारयिों, कॉर्पोरेट समूहों या सत्ता में बैठे अधकियरयिों द्वारा क्य़ों न कयिा गया हो।
 - इसका परिणाम कई बार ऐसी शकतयिों द्वारा पत्रकारों को डराना या सूचना को बाहर आने से रोकना हो सकता है।
- पत्रकार अकसर उन मुद्दों और नीतगित फैसलों पर रपिर्टगि करते हैं जो सरकार के वरिद्ध होते हैं।
- संवेदनशील मुद्दों पर कसिी भी प्रकार के मामले को इनमें से कसिी भी प्रावधान का उल्लंघन माना जा सकता है।

प्रत्यायन कैसे मदद करता है?

- महत्त्वपूर्ण परसिर से रपिर्ट करने की अनुमति:
 - कुछ आयोजनों में जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ती भौजूद होते हैं, वहाँ केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही परसिर से रपिर्ट करने की अनुमति होती है।
- पहचान की रक्षा में मदद:
 - दूसरा, प्रत्यायन यह सुनिश्चति करती है कि एक पत्रकार अपने स्रोतों की पहचान की रक्षा करने में सक्षम है।
 - एक प्रत्यायन प्राप्त पत्रकार को यह खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है कि वह केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यालयों में प्रवेश करते समय कसिसे मलिना चाहता है, क्य़ोंकि प्रत्यायन कार्ड गृह मंत्रालय के सुरक्षा क्षेत्र के तहत भवनों में प्रवेश के लयि मान्य होता है।
- पत्रकार को लाभ:
 - प्रत्यायन से पत्रकार और उसके परिवार को कुछ लाभ मलिते हैं, जैसे- केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना में शामिल होना और रेलवे टिकट पर कुछ रयियतें मलिना।

प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधति संवैधानकि प्रावधान:

- संवधान, अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभवियक्ती की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो वाक् स्वतंत्रता इत्यादिके संबंध में कुछ अधकियरों के संरक्षण से संबंधति है।
- प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षति नहीं कयिा गया है, लेकिन यह संवधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत संरक्षति है, जसिमें कहा गया है- "सभी नागरिकों को वाक् एवं अभवियक्ती की स्वतंत्रता का अधकियर होगा"।
 - हालाँकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमति नहीं होती है। कानून इस अधकियर के प्रयोग पर प्रतबिंधों को लागू कर सकता है, जो अनुच्छेद 19 (2) के तहत इस प्रकार हैं-
 - भारत की संप्रभुता और अखंडता के हतिों से संबंधति मामले, राज्य की सुरक्षा, वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनकि व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध को प्रोत्साहन।

स्रोत- द हट्टि